

महानिदेशालय
केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल
गृह मंत्रालय

13 केन्द्रीय कार्यालय परिसर
लोधी रोड नई दिल्ली -03

शाखा / Branch : प्रशासन /ADM

No.A-42099/Flag/Adm-II/2025- 585

Dated 05 March' 2025

To,

The SDG/APS
The ADsG (South and North)
All Sector IsG including Director/NISA Hyderabad.

विषय - भारत के राज्य संप्रतीक का संप्रदर्शन

Kindly refer to MHA letter No. 13/4/2025-Public dated 25.02.2025 (Hindi version).

2. In this context, it is requested that the contents of the above letter may be circulated to all Units/Res Bns/Trg. Institution under your jurisdiction for strict compliance please.

Encl:- As above (Hindi version)

सहायक महानिरीक्षक / प्रशासन



Internal:-

- | | |
|------------------------|--|
| 1.PS to DG/CISF | For kind information of DG/CISF please. |
| 2. PS to ADG/HQr | For kind information of ADG/HQr please. |
| 3. PS to all IsG | For kind information please. |
| 4. All DIsG of FHQ | For kind information please. |
| 5. All AIsG of FHQ | For kind information please. |
| 6.AIG/Tech | For information and upload the order on the CISF Website please. |
| 7. All Branches of FHQ | For information please. |
| 8. RI of FHQr | For information and necessary action. |
| 9. I/C of Adm Store | -do- |

तत्काल

सं.13/4/2025-पब्लिक
भारत सरकार
गृह मंत्रालय
पब्लिक अनुभाग

ADM BRANCH
No. 1814
DOR:
TIME: 03/03/25
DOR:

11
14

नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली - 01
दिनांक 3 फरवरी, 2025

25 FEB 2025

सेवा में,

सभी राज्य सरकारों के मुख्य सचिव/
सभी संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासक,
भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों के सचिव।

DG
ADG

14 (Adm) - AdL

विषय: भारत के राज्य संप्रतीक का संप्रदर्शन।

महोदय/महोदया,

भारत का राज्य संप्रतीक भारत सरकार की शासकीय मुद्रा है। राज्य संप्रतीक को अशोक के सारनाथ सिंह स्तंभ शीर्ष से अंगीकार किया गया है। इस संप्रतीक में सिंह स्तंभ शीर्ष में फलक पर तीन सिंह बैठे दिखाई देते हैं, बीच में धर्म चक्र, उसके दाहिनी ओर एक बैल और बाईं ओर दौड़ता हुआ एक घोड़ा है और उनके एकदम दाहिनी ओर बाईं ओर धर्मचक्र बना हुआ है तथा सिंह स्तंभ शीर्ष चित्र के पार्श्व चित्र के नीचे देवनागरी लिपि में आदर्श वाक्य " सत्यमेव जयते " लिखा हुआ है। भारत के राज्य संप्रतीक का डिजाइन भारत के राज्य संप्रतीक (अनुचित प्रयोग प्रतिषेध) अधिनियम, 2005 की अनुसूची के परिशिष्ट 1 एवं 11 में दिया गया है।

2. इस मंत्रालय के ध्यान में यह लाया गया है कि भारत के राज्य संप्रतीक का उपयोग करने वाली विभिन्न सरकारी एजेंसियां प्रायः अपनी लेखन सामग्री, प्रकाशनों, सीलों, वाहनों, भवनों, वेबसाइटों आदि पर आदर्श वाक्य " सत्यमेव जयते " का लोप कर देती हैं और केवल सिंह स्तंभ शीर्ष को ही प्रदर्शित करती हैं। इसके अतिरिक्त, भारत के राज्य संप्रतीक का डिजाइन भारत के राज्य संप्रतीक (अनुचित प्रयोग प्रतिषेध) अधिनियम, 2005 की अनुसूची के परिशिष्ट 1 एवं 11 में निर्धारित डिजाइन के समनुरूप नहीं है।

3. यह ध्यान में रखा जाए कि सिंह स्तंभ शीर्ष के नीचे लिखे आदर्श वाक्य "सत्यमेव जयते " (देवनागरी लिपि में) के बिना भारत का राज्य संप्रतीक अपूर्ण है। भारत के राज्य संप्रतीक का अपूर्ण प्रदर्शन उक्त अधिनियम का उल्लंघन है।

4. इसके अलावा, इस मंत्रालय के ध्यान में यह लाया गया है कि विभिन्न व्यक्ति/प्राधिकारी, जो भारत के राज्य संप्रतीक का प्रयोग करने के लिए अधिकृत नहीं हैं, अपनी लेखन सामग्री, वाहनों आदि पर इसका प्रयोग कर रहे हैं। कृपया ध्यान दें कि भारत के राज्य संप्रतीक का प्रयोग भारत का राज्य संप्रतीक (अनुचित प्रयोग प्रतिषेध) अधिनियम, 2005 और भारत के राज्य संप्रतीक (प्रयोग का विनियम) नियम, 2007 [भारत के राज्य संप्रतीक (प्रयोग का विनियम) संशोधन नियम, 2010 के साथ पठित] नियमों में विनिर्दिष्ट प्राधिकारियों/प्रयोजनों तक सीमित है। अधिनियम और नियमों की एक प्रति संलग्न है (इस मंत्रालय की वेबसाइट www.mha.nic.in पर भी उपलब्ध है)।

D-1241/DG
27/02/25

जारी.../-

550/DIG/Adm
28/02/25

563/IG/Adm
28/02/25


D-1269/ADG
28/2/25

5. अतः, एक बार पुनः अनुरोध किया जाता है कि विभिन्न शासकीय प्रयोजनों के लिए भारत के राज्य संप्रतीक का प्रयोग करने के लिए अधिकृत सरकारी एजेंसियों द्वारा भारत के राज्य संप्रतीक (अनुचित प्रयोग प्रतिषेध) अधिनियम, 2005 की अनुसूची के परिशिष्ट 1 एवं 11 में दिये प्रारूप के अनुसार सिंह स्तंभ शीर्ष के पार्श्व चित्र के नीचे देवनागरी लिपि में आदर्श वाक्य "सत्यमेव जयते" के साथ 'राज्य संप्रतीक' के पूर्ण चित्र को प्रदर्शित किया जाए तथा यह भी सुनिश्चित किया जाए कि व्यक्तियों/प्राधिकारियों के द्वारा लेखन सामाग्री, वाहनों आदि पर भारत के राज्य संप्रतीक का कोई अनधिकृत प्रयोग न किया जाए।

6. इस संबंध में तदनुसार सभी संबंधित सरकारी एजेंसियों को उचित अनुदेश जारी किए जाएं तथा इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के माध्यम से भारत के आम नागरिकों के बीच इस संबंध में व्यापक जागरूकता पैदा करने के लिए कदम उठाए जाएं। भारत का राज्य संप्रतीक (अनुचित प्रयोग प्रतिषेध) अधिनियम, 2005 और भारत के राज्य संप्रतीक (प्रयोग का विनियम) नियम, 2007 [भारत के राज्य संप्रतीक (प्रयोग का विनियम) संशोधन नियम, 2010 के साथ पठित] के उल्लंघन के लिए संबंधित अधिकारियों (भारत के राज्य संप्रतीक के अपूर्ण प्रदर्शन के लिए) तथा व्यक्तियों/संगठनों (जो भारत के राज्य संप्रतीक का अनधिकृत रूप से प्रयोग कर रहे हैं) के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए।

संग्रहक : यथोपरि (3)

भवदीय,


(जी. पार्थसारथी)

संयुक्त सचिव, भारत सरकार

☎ 011-2309 2125

प्रति प्रेषित:-

1. राष्ट्रपति सचिवालय, राष्ट्रपति भवन, नई दिल्ली।
2. उपराष्ट्रपति सचिवालय, नई दिल्ली।
3. प्रधान मंत्री कार्यालय, साउथ ब्लॉक, नई दिल्ली।
4. मंत्रिमंडल सचिवालय, नई दिल्ली।
5. सभी राज्यपालों के कार्यालय।
6. भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली।
7. लोक सभा सचिवालय, नई दिल्ली।
8. राज्य सभा सचिवालय, नई दिल्ली।
9. रजिस्ट्रार, भारत का उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली।
10. सभी उच्च न्यायालय।
11. भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का कार्यालय, नई दिल्ली।
12. संघ लोक सेवा आयोग, नई दिल्ली।
13. केंद्रीय सतर्कता आयोग, नई दिल्ली।
14. नीति आयोग, योजना भवन, नई दिल्ली।
15. गृह मंत्रालय के सभी संबद्ध एवं अधीनस्थ कार्यालय।
16. 20 अतिरिक्त प्रतियां।

भारत का राज्य संप्रतीक (अनुचित प्रयोग प्रतिषेध) अधिनियम, 2005

(2005 का अधिनियम संख्यांक 50)

[20 दिसम्बर, 2005]

वृत्तिक और वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए भारत के राज्य संप्रतीक के अनुचित प्रयोग का प्रतिषेध करने और उससे संबंधित या उसके आनुवंशिक विषयों के लिए अधिनियम

भारत गणराज्य के छप्पनवें वर्ष में संसद द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:—

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम भारत का राज्य संप्रतीक (अनुचित प्रयोग प्रतिषेध) अधिनियम, 2005 है।

संक्षिप्त नाम, विस्तार, लागू होना और प्रारंभ।

(2) इसका विस्तार संपूर्ण भारत पर है और यह भारत के बाहर, भारत के नागरिकों को भी लागू होता है।

(3) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा, जो केंद्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियत करे।

2. इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

परिभाषाएं।

(क) "सक्षम प्राधिकारी" से ऐसा प्राधिकारी अभिप्रेत है, जो तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन किसी कंपनी, फर्म, अन्य व्यक्ति निकाय या किसी व्यापार चिह्न या डिजाइन को रजिस्ट्रीकृत करने या कोई पेटेंट प्रदान करने के लिए सक्षम है;

(ख) "संप्रतीक" से सरकार की शासकीय मुद्रा के रूप में प्रयोग किए जाने के लिए अनुसूची में यथावर्णित और विनिर्दिष्ट भारत का राज्य संप्रतीक अभिप्रेत है।

3. तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी, कोई व्यक्ति, संप्रतीक या उसकी मिलती-जुलती नकल का, किसी ऐसी रीति में, जिससे यह धारणा उत्पन्न होती है कि वह सरकार से संबंधित है या यह कि वह, यथास्थिति, केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार का कोई शासकीय दस्तावेज है, केंद्रीय सरकार या उस सरकार के ऐसे अधिकारी की पूर्व अनुज्ञा के बिना, जिसे वह सरकार इस निमित्त प्राधिकृत करे, प्रयोग नहीं करेगा।

संप्रतीक के अनुचित प्रयोग का प्रतिषेध।

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजनों के लिए, "व्यक्ति" के अन्तर्गत केंद्रीय सरकार या राज्य सरकारों का कोई भूतपूर्व कृत्यकारी भी है।

4. कोई व्यक्ति, किसी व्यापार, कारबार, आजीविका या वृत्ति के प्रयोजन के लिए या किसी पेटेंट के नाम में या किसी व्यापार चिह्न या डिजाइन में संप्रतीक का प्रयोग, ऐसे मामलों में और ऐसी शर्तों के अधीन करने के सिवाय, जो विहित की जाएं, नहीं करेगा।

सदोष अभिलाष के लिए संप्रतीक के प्रयोग का प्रतिषेध।

5. (1) तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी, कोई सक्षम प्राधिकारी,—

कतिपय कंपनियों आदि के रजिस्ट्रीकरण का प्रतिषेध।

(क) किसी ऐसे व्यापार चिह्न या डिजाइन को, जिस पर संप्रतीक हो, रजिस्टर नहीं करेगा, या

(ख) किसी ऐसे आविष्कार के संबंध में जिसका ऐसा नाम हो, जिसमें संप्रतीक आ जाता हो, कोई पेटेंट प्रदान नहीं करेगा।

(2) यदि किसी सक्षम प्राधिकारी के समक्ष यह प्रश्न उठता है कि कोई संप्रतीक अनुसूची में विनिर्दिष्ट संप्रतीक या उसकी भित्तीय-जुलती नकल है या नहीं तो सक्षम प्राधिकारी उस प्रश्न को केन्द्रीय सरकार को निर्दिष्ट करेगा और उस पर केन्द्रीय सरकार का विनिश्चय अंतिम होगा।

संप्रतीक के प्रयोग को विनियमित करने की केन्द्रीय सरकार की सहायक शक्तियाँ।

6. (1) केन्द्रीय सरकार ऐसी शासकीय मुद्रा में, जिसका केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकार तथा उनके संगठनों, जिनके अंतर्गत विदेशों में राजनयिक मिशन भी हैं, के कार्यालयों में उपयोग किया जाता है, संप्रतीक के उपयोग को विनियमित करने के लिए, ऐसे निर्बंधनों और शर्तों के अधीन रहते हुए, जो विहित की जाएं, नियमों द्वारा ऐसा उपबंध कर सकेगी, जो उसे आवश्यक प्रतीत हो।

(2) इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन रहते हुए केन्द्रीय सरकार को निम्नलिखित शक्तियाँ होंगी,—

(क) सांविधानिक प्राधिकारियों, मंत्रियों, संसद् सदस्यों, विधान सभा सदस्यों, केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारों के अधिकारियों द्वारा लेखन सामग्री पर संप्रतीक के प्रयोग, अर्थात् शासकीय लेखन सामग्री पर उसके मुद्रण या समुद्र्भूत की रीति को अधिसूचित करना;

(ख) शासकीय मुद्रा की, जिसमें संप्रतीक समाविष्ट हो, डिजाइन को विनिर्दिष्ट करना;

(ग) सांविधानिक प्राधिकारियों, विदेशी उच्च पदस्थों, केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारों के मंत्रियों के बाहरी पर संप्रतीक के संप्रदर्शन को निर्बंधित करना;

(घ) भारत में लोक भवनों, राजनयिक मिशनों और विदेश में भारत के कांसल कार्यालयों के दखलकृत भवनों पर संप्रतीक को संप्रदर्शित करने के लिए भार्यदर्शक सिद्धांतों का उपबंध करना;

(ङ) विभिन्न अन्य प्रयोजनों के लिए, जिनके अंतर्गत शैक्षिक प्रयोजनों और सहायक कार्यों के लिए प्रयोग भी है, संप्रतीक के प्रयोग के लिए शर्तें विनिर्दिष्ट करना;

(च) ऐसी सभी बातें (जिनके अंतर्गत संप्रतीक के डिजाइन का विनिर्देश और इसके प्रयोग की रीति, चाहे जो हो, जो है) करना जो केन्द्रीय सरकार पूर्वगामी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए आवश्यक या समीचीन समझे।

शक्ति।

7. (1) कोई व्यक्ति, जो धारा 3 के उपबंधों का उल्लंघन करेगा, ऐसे कारावास से, जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से, जो पाँच हजार रुपए तक का हो सकेगा या दोनों से दंडनीय होगा या यदि उसे इस धारा के अधीन किसी अपराध के लिए पहले ही सिद्धोद्योग ठहराए जा चुका हो और उसके परचात् उसे, उस अपराध के लिए पुनः दोषसिद्ध किया जाता है तो वह दूसरे और प्रत्येक परचात्पूर्व अपराध के लिए ऐसे कारावास से, जिसकी अवधि छह मास से कम की नहीं होगी, किन्तु जो दो वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने से, जो पाँच हजार रुपए तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा।

(2) कोई व्यक्ति, जो एवम अधिसूच्य के लिए धारा 4 के उपबंधों का उल्लंघन करेगा, ऐसे अपराध के लिए ऐसे कारावास से, जिसकी अवधि छह मास से कम की नहीं होगी, किन्तु दो वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने से, जो पाँच हजार रुपए तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा।

अभिभोजन के लिए पूर्व संकल्प।

8. इस अधिनियम के अधीन दंडनीय किसी अपराध के लिए कोई अभिभोजन, केन्द्रीय सरकार की या केन्द्रीय सरकार के साधारण या विशेष आदेश द्वारा इस विहित प्राधिकृत किसी अधिकारी की पूर्व मंजूरी के बिना, संस्थित नहीं किया जाएगा।

व्यवृत्ति।

9. इस अधिनियम की किसी बात से किसी व्यक्ति को, ऐसे किसी खाद को अन्य कार्यवाही से, जो तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन उसके विरुद्ध की जा सकती हो, छूट प्राप्त नहीं होगी।

अधिनियम का अन्वयार्थी प्रभाव होगा।

10. इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए किसी नियम के उपबंध, किसी अन्य अधिनियमित या ऐसी अधिनियमित के आधार पर प्रभाव रखने वाली लिखत में अंतर्विष्ट किसी असंगत बात के होते हुए भी प्रभावी होंगे।

11. (1) केन्द्रीय सरकार, इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए नियम, नियम बनाने की राजपत्र में अधिसूचना द्वारा बना सकेगी। शक्ति।

(2) विशिष्टतया और पूर्वगामी शक्तियों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियम निम्नलिखित सभी या किन्हीं विषयों के लिए उपबंध कर सकेंगे, अर्थात्:—

- (क) धारा 4 के अधीन संप्रतीक के प्रयोग को विनियमित करने वाले मामले और शर्तें;
 - (ख) धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार की शासकीय मुद्रा में संप्रतीक के प्रयोग को विनियमित करने और उससे संबंधित निर्बंधनों और शर्तों को विनिर्दिष्ट करने के लिए नियम बनाना;
 - (ग) धारा 6 की उपधारा (2) के अधीन लेखन सामग्री पर संप्रतीक का प्रयोग, संप्रतीक वाली शासकीय मुद्रा का डिजाइन और अन्य विषय;
 - (घ) धारा 8 के अधीन अभियोजन संस्थित करने के लिए पूर्व मंजूरी देने के लिए साधारण या विशेष आदेश द्वारा अधिकारी को प्राधिकृत करना; और
 - (ङ) कोई अन्य विषय, जिसे विहित किया जाना अपेक्षित हो या जिसे विहित किया जाए।
- (3) इस धारा के अधीन बनाया गया प्रत्येक नियम, बनाए जाने के पश्चात्, यथाशीघ्र, संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब वह सत्र में हो, कुल तीस दिन की अवधि के लिए रखा जाएगा। यह अवधि एक सत्र में अथवा दो या अधिक आनुक्रमिक सत्रों में पूरी हो सकेगी, यदि उस सत्र के या पूर्वोक्त आनुक्रमिक सत्रों के ठीक बाद के सत्र के अवसान के पूर्व दोनों सदन उस नियम में कोई परिवर्तन करने के लिए सहमत हो जाएं तो तत्पश्चात् वह ऐसे परिवर्तित रूप में ही प्रभावी होगा, यदि उक्त अवसान के पूर्व दोनों सदन सहमत हो जाएं कि वह नियम नहीं बनाया जाना चाहिए तो तत्पश्चात् वह निष्प्रभाव हो जाएगा। किन्तु नियम के ऐसे परिवर्तित या निष्प्रभाव होने से उसके अधीन पहले की गई किसी बात की विधिमाम्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

अनुसूची

[धारा 2(ख) देखिए]

भारत का राज्य संप्रतीक

वर्णन और डिजाइन

भारत का राज्य संप्रतीक अशोक के सारनाथ स्थित उस सिंह स्तंभ शीर्ष से अंगीकार किया गया है जो सारनाथ संग्रहालय में परिरक्षित है। सिंह स्तंभ शीर्ष पर चार सिंह वृत्ताकार शीर्ष फलक पर पीठ लगाए बैठे हैं। शीर्ष-फलक की मध्य पट्टी ऊर्ध्वीकृत एक हाथी, एक दौड़ते हुए घोड़े, एक सांड और एक सिंह की मूर्तियों से अलंकृत है, जिन्हें मध्यवर्ती धर्मचक्र द्वारा पृथक् किया गया है। शीर्ष फलक घण्टे के आकार के कमल पर रखा हुआ है।

पार्श्व चित्र में शीर्ष फलक पर तीन सिंह बैठे दिखाई देते हैं, बीच में धर्मचक्र, उसके दाहिनी ओर एक बैल और बाईं ओर दौड़ता हुआ एक घोड़ा है और उनके एकदम दाहिनी ओर बाईं ओर धर्मचक्र को भारत के राज्य संप्रतीक के रूप में अंगीकृत किया गया है। घण्टे के आकार के कमल का लोप कर दिया गया है।

सिंह स्तंभ शीर्ष चित्र के पार्श्व चित्र के नीचे देवनागरी लिपि में लिखा आदर्श वाक्य "सत्यमेव जयते"—सत्य की ही विजय होती है—भारत के राज्य संप्रतीक का भाग है।

भारत का राज्य संप्रतीक परिशिष्ट-1 या परिशिष्ट-2 में यथाउपवर्णित डिजाइन के अनुरूप होगा।

परिशिष्ट 2



सत्यमेव जयते

टिप्पण : यह डिजाइन अधिक विस्तृत रूप में है और बड़े आकार में पुनःप्रस्तुतीकरण के लिए है।



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 448]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अक्टूबर 4, 2007/आश्विन 12, 1929

No. 448]

NEW DELHI, THURSDAY, OCTOBER 4, 2007/ASVINA 12, 1929

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 4 अक्टूबर, 2007

सा.का.नि. 643(अ).—केन्द्रीय सरकार, भारत का राज्य संप्रतीक (अनुचित प्रयोग प्रतिषेध) अधिनियम, 2005 (2005 का 50) की धारा 11 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, शासकीय मुद्रा में और लेखन सामग्री पर भारत के राज्य संप्रतीक के प्रयोग और उसके डिजाइन को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार, लागू होना और प्रारंभ.—(1) इन नियमों का नाम भारत का राज्य संप्रतीक (प्रयोग का विनियम) नियम, 2007 है।

(2) इसका विस्तार संपूर्ण भारत और भारत के बाहर भारत के नागरिकों पर भी होगा।

(3) यह राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. परिभाषाएं.—इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, -

(क) "अधिनियम" से भारत का राज्य संप्रतीक (अनुचित प्रयोग प्रतिषेध) अधिनियम, 2005 (2005 का 50) अभिप्रेत है;

(ख) "संप्रतीक" से अधिनियम की धारा 2 के खण्ड (ख) में यथापरिभाषित भारत का राज्य संप्रतीक अभिप्रेत है ;

(ग) "अनुसूची" से इन नियमों से संलग्न अनुसूची अभिप्रेत है ;

(घ) किसी संघ राज्यक्षेत्र के संबंध में, "राज्य सरकार" से संविधान के अनुच्छेद 239 के अधीन राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया गया उस संघ राज्यक्षेत्र का प्रशासक अभिप्रेत है।

3. शासकीय मुद्रा का डिजाइन.—(1) शासकीय मुद्रा के डिजाइन में अंडाकार या गोल विरचना में संलग्न संप्रतीक होगा।

(2) विरचना के आंतरिक और बाहरी घेरों के बीच मंत्रालय या कार्यालय का नाम उपदर्शित होगा।

(3) जहां किसी मंत्रालय या कार्यालय का पूरा नाम रखा जाना संभव नहीं है, वहां उसके नाम का संक्षिप्त रूप अंकित किया जा सकेगा।

4. राज्यों या संघ राज्यक्षेत्रों द्वारा अंगीकार करना.—(1) कोई राज्य सरकार संप्रतीक को, केन्द्रीय सरकार का अनुमोदन प्राप्त किए बिना, यथास्थिति, राज्य या संघ राज्यक्षेत्र के शासकीय संप्रतीक के रूप में अंगीकार कर सकेगी।

(2) जहां कोई राज्य सरकार, यथास्थिति, उस राज्य या संघ राज्यक्षेत्र के संप्रतीक में, संप्रतीक या उसके किसी भाग का सम्मिलित करने

का प्रस्ताव करती है, वहां वह केन्द्रीय सरकार का पूर्व अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात् ऐसा करेगी और डिजाइन तथा अभिन्यास को केन्द्रीय सरकार से अनुमोदित कराएगी :

परन्तु जहां किसी राज्य सरकार ने, इन नियमों के प्रवृत्त होने के पूर्व, यथास्थिति, उस राज्य या संघ राज्यक्षेत्र के संप्रतीक में संप्रतीक या उसका भाग पहले से ही सम्मिलित किया हुआ है, वहां वह इन नियमों के अन्य उपबंधों के अधीन रहते हुए, संप्रतीक का प्रयोग जारी रख सकेगी ।

5. शासकीय मुद्रा में प्रयोग.—शासकीय मुद्रा में संप्रतीक का प्रयोग, अनुसूची-1 में विनिर्दिष्ट प्राधिकारियों तक निर्बंधित होगा ।

6. लेखन सामग्री पर प्रयोग.—(1) शासकीय या अर्ध-शासकीय लेखन सामग्री पर संप्रतीक का प्रयोग, पूर्वोक्त अनुसूची-1 में विनिर्दिष्ट प्राधिकारियों तक निर्बंधित रहेगा ।

(2) संप्रतीक, जब शासकीय या अर्ध-शासकीय लेखन सामग्री पर मुद्रित या समुद्भूत किया जाए तो वह ऐसी लेखन सामग्री के शीर्ष के मध्य में सुस्पष्ट रूप से उपदर्शित होगा ।

7. वाहनों पर संप्रदर्शन.—वाहनों पर संप्रतीक का प्रयोग अनुसूची-2 में विनिर्दिष्ट प्राधिकारियों तक निर्बंधित होगा ।

8. सरकारी भवनों पर संप्रदर्शन.—(1) संप्रतीक को, राष्ट्रपति भवन, संसद भवन, उच्चतम न्यायालय और केन्द्रीय सचिवालय भवन जैसे अति महत्वपूर्ण सरकारी भवनों पर संप्रदर्शित किया जा सकेगा ।

(2) संप्रतीक को, उन राज्यों या संघ राज्यक्षेत्रों के राजभवन या राज निवास और राज्य विधान मंडल, उच्च न्यायालयों और सचिवालय भवनों पर भी संप्रदर्शित किया जा सकेगा, जिन्होंने संप्रतीक को अंगीकार किया है या जिन्होंने राज्य या संघ राज्यक्षेत्र के संप्रतीक में, संप्रतीक को सम्मिलित किया हुआ है ।

(3) संप्रतीक को, विदेशों में भारत के राजनयिक मिशन के परिसरों पर संप्रदर्शित किया जा सकेगा और मिशनों के प्रमुख अपने प्रत्यायन के देशों में अपने निवास स्थानों पर संप्रतीक को संप्रदर्शित कर सकेंगे ।

(4) संप्रतीक को, विदेशों में भारत के कौंसलावास द्वारा अधिभोग किए गए भवनों पर, उनके प्रवेश द्वारों पर और उनके प्रत्यायन के देशों में कौंसलीय पदों के प्रमुखों के निवास स्थानों पर संप्रदर्शित किया जा सकेगा ।

9. विभिन्न अन्य प्रयोजनों के लिए प्रयोग.—इन नियमों के उपबंधों के अधीन रहते हुए, संप्रतीक का प्रयोग अनुसूची-3 में यथानिर्दिष्ट अन्य प्रयोजनों के लिए किया जा सकेगा ।

10. संप्रतीक के प्रयोग पर निर्बंधन.—(1) इन नियमों के अधीन प्राधिकृत व्यक्तियों से भिन्न कोई भी व्यक्ति (जिसके अंतर्गत भूतपूर्व मंत्री, भूतपूर्व संसद सदस्य, विधान सभाओं के भूतपूर्व सदस्य, भूतपूर्व न्यायाधीश और सेवानिवृत्त सरकारी पदधारी जैसे सरकार के भूतपूर्व कृत्यकारी भी हैं) किसी भी रीति में, संप्रतीक का प्रयोग नहीं करेगा ।

(2) इन नियमों के अधीन प्राधिकृत किए गए से भिन्न कोई आयोग या समिति, पब्लिक सेक्टर उपक्रम, बैंक, नगरपालिका परिषद्, पंचायतराज संस्था, परिषद्, गैर-सरकारी संगठन, विश्वविद्यालय किसी भी रीति में संप्रतीक का प्रयोग नहीं करेगा ।

(3) कोई संगम या व्यक्ति निकाय, चाहे निगमित हो या नहीं, किसी रीति में अपने लैटरहेडों, पुस्तिकाओं, आसनों, कलगी, बैज, हाउस फ्लैगों पर या किसी अन्य प्रयोजन के लिए संप्रतीक का प्रयोग नहीं करेगा ।

(4) ऐसी लेखन-सामग्री पर, जिसके अंतर्गत लैटरहेड, परिचय-कार्ड और बधाई कार्ड भी हैं, जो ऐसे व्यक्ति के नाम के साथ लेखन सामग्री पर इन नियमों के अधीन संप्रतीक का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत हैं, अधिवक्ता, संपादक, चार्टर्ड अकाउंटेंट, जैसे शब्द नहीं होंगे ।

11. संप्रतीक के प्रयोग को निर्बंधित करने वाली दशाएं और शर्तें.—(1) कोई भी व्यक्ति, किसी व्यापार, कारबार, आजीविका या वृत्ति के प्रयोजन के लिए या किसी पेटेंट के शीर्षक में या किसी व्यापार चिह्न अथवा डिजाइन में संप्रतीक या उससे मिलती-जुलती नकल का प्रयोग नहीं करेगा या उसका प्रयोग करना जारी नहीं रखेगा :

परन्तु कोई व्यक्ति श व्यक्ति समूह, संगम, निकाय, निगम, केन्द्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से उसके द्वारा आयोजित किसी समारोह के संबंध में या केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के किसी मंत्रालय या विभाग के साथ संयुक्त रूप से किसी प्रकाशन के संबंध में संप्रतीक का प्रयोग कर सकेगा ।

12. संप्रतीक के डिजाइन की उपलब्धता.—(1) संप्रतीक के फोटो ग्राफिक डिजाइन प्रबंधक, फोटोलिथो खण्ड, भारत सरकार मुद्रणालय, मिटो रोड, नई दिल्ली में उपलब्ध हैं और उनसे प्राप्त किए जा सकते हैं ।

(2) संप्रतीक के मानक, डाई का नमूना, मुख्य नियंत्रक, मुद्रण और लेखन सामग्री, नई दिल्ली से प्राप्त किया जा सकता है ।

अनुसूची-1

(नियम 5 और 6 देखें)

संविधानिक या कानूनी प्राधिकारी, केन्द्रीय सरकार के मंत्रालय या विभाग, राज्य सरकारों या संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन और अन्य सरकारी कृत्यकारी, जो संप्रतीक का प्रयोग कर सकेंगे ।

(i) राष्ट्रपति, उप-राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और संघ का कोई मंत्री ;

- (ii) राज्यपाल, उप-राज्यपाल, प्रशासन, यदि, यथास्थिति, संप्रतीक को उस राज्य या संघ राज्यक्षेत्र द्वारा अंगीकार किया गया है या उसके संप्रतीक में उसे सम्मिलित किया गया है ;
 - (iii) भारत की संसद का कार्यालय और उसके अधिकारी ;
 - (iv) न्यायाधीश और न्यायपालिका के कार्यालय और उसके अधिकारी ;
 - (v) योजना आयोग का कार्यालय और उसके अधिकारी ;
 - (vi) भारत का मुख्य निर्वाचन आयुक्त, निर्वाचन आयुक्त और भारत निर्वाचन आयोग का कार्यालय और उसके अधिकारी ;
 - (vii) भारत का नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक, भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का कार्यालय और उसके अधिकारी ;
 - (viii) संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष और उसके सदस्य और संघ लोक सेवा आयोग का कार्यालय और उसके अधिकारी ;
 - (ix) केन्द्रीय सरकार के मंत्रालय, विभाग और कार्यालय तथा उनके अधिकारी ;
 - (x) विदेशों में राजनयिक मिशन और उनके अधिकारी ;
 - (xi) राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों के मुख्यमंत्री और मंत्री, यदि उस राज्य या संघ राज्यक्षेत्र द्वारा संप्रतीक अंगीकृत किया गया है या उसके संप्रतीक में संप्रतीक सम्मिलित किया गया है ;
 - (xii) संसद सदस्य और यथास्थिति, राज्य या संघ राज्यों की विधान सभाओं या विधान परिषदों के सदस्य ;
 - (xiii) राज्य और संघ राज्यक्षेत्र सरकारों के मंत्रालय, विभाग और कार्यालय और उनके अधिकारी, यदि उस राज्य या संघ राज्यक्षेत्र द्वारा संप्रतीक अंगीकृत किया गया है या उसके संप्रतीक में संप्रतीक सम्मिलित किया गया है ;
 - (xiv) राज्य और संघ राज्यक्षेत्र की विधान सभाओं या विधान परिषदों के कार्यालय और अधिकारी, यदि उस राज्य या संघ राज्यक्षेत्र द्वारा संप्रतीक अंगीकृत किया है या उसके संप्रतीक में संप्रतीक सम्मिलित किया गया है ;
 - (xv) संसद के किसी अधिनियम द्वारा गठित या स्थापित अथवा केन्द्रीय सरकार द्वारा स्थापित आयोग और प्राधिकरण ;
 - (xvi) राज्य विधान मंडल के किसी अधिनियम द्वारा गठित या स्थापित या राज्य सरकार द्वारा स्थापित आयोग और प्राधिकारी, यदि उस राज्य या संघ राज्यक्षेत्र द्वारा संप्रतीक अंगीकृत किया गया है या उसके संप्रतीक में संप्रतीक सम्मिलित किया गया है ;
- स्पष्टीकरण : इस अनुसूची के प्रयोजन के लिए, "अधिकारी" पद से केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन का कोई राजपत्रित अधिकारी अभिप्रेत है।

अनुसूची II

(नियम 7 देखें)

भाग 1

सांविधानिक प्राधिकारी और अन्य उच्चाधिकारी, जो अपनी कारों पर संप्रतीक संप्रदर्शित कर सकेंगे

- (i) राष्ट्रपति भवन की कारें, जब निम्नलिखित उच्चाधिकारी या उनके पति या पत्नी ऐसे वाहनों में यात्रा कर रहे हों :
 - (क) राष्ट्रपति,
 - (ख) विदेशी राज्यों के प्रमुख अतिथि,
 - (ग) विदेशी राज्यों के अतिथि, उप-राष्ट्रपति या समतुल्य प्रास्थिति के उच्चाधिकारी,
 - (घ) विदेशी सरकारों के प्रमुख अतिथि या किसी विदेशी राज्य के राजकुमार या राजकुमारी जैसे समतुल्य प्रास्थिति वाले उच्चाधिकारी,
 - (ङ) राष्ट्रपति की कार के पीछे चलने वाली अतिरिक्त कार ;
- (ii) उप-राष्ट्रपति की कार, जब वह या उसका पति या उसकी पत्नी ऐसे वाहन में यात्रा कर रहे हों ;
- (iii) राजभवन और राज निवासों की कारें, यदि उस राज्य या संघ राज्यक्षेत्र द्वारा संप्रतीक अंगीकृत किया गया है या उसके संप्रतीक में उसे सम्मिलित किया गया है, जब संबंधित राज्य या संघ राज्यक्षेत्र के भीतर ऐसे वाहनों द्वारा निम्नलिखित उच्चाधिकारी या उनके पति या पत्नी यात्रा कर रहे हों :
 - (क) राष्ट्रपति,
 - (ख) उप-राष्ट्रपति,
 - (ग) राज्य का राज्यपाल,
 - (घ) संघ राज्यक्षेत्र का उप-राज्यपाल,
 - (ङ) विदेशी राज्यों के प्रमुख अतिथि,

- (च) विदेशी राज्यों के अतिथि उप-राष्ट्रपति या समतुल्य प्रास्थिति वाले उच्चाधिकारी,
 (छ) विदेशी सरकारों के प्रमुख अतिथि या समतुल्य प्रास्थिति वाले उच्चाधिकारी,
 (iv) भारत के राजनयिक मिशनों के प्रमुखों द्वारा प्रत्यायन के देश में उपयोग की जाने वाली कारें और परिवहन के अन्य साधन ;
 (v) विदेश में भारत के काउंसिल के प्रमुख द्वारा प्रत्यायन के देश में उपयोग की जाने वाली कारें और परिवहन के अन्य साधन ;
 (vi) विदेश मंत्रालय के प्रोटोकाल प्रभाग द्वारा रखी जाने वाली कारें, जब उनका उपयोग भारत में आए हुए कैबिनेट मंत्रियों और उससे उच्च रैंक के विदेशी उच्चाधिकारियों और समारोह के अवसर पर भारत में प्रत्यायित राजदूत की ड्यूटी में किया जा रहा हो।

भाग 2

प्राधिकारी, जो अपनी कारों पर तिकोनी धातु की पट्टिका पर अशोक चक्र (जो संप्रतीक का भाग है) संप्रदर्शित कर सकेंगे :

- (i) प्रधान मंत्री और संघ के मंत्रियों, लोक सभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, राज्य सभा के उपसभापति की कारें, जब वे भारत में कहीं भी यात्रा कर रहे हों ;
 (ii) भारत के मुख्य न्यायमूर्ति और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश, उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायमूर्ति और न्यायाधीशों की कारें, अपने-अपने राज्यक्षेत्र के भीतर ;
 (iii) राज्यों के कैबिनेट मंत्रियों, राज्यों के राज्य मंत्रियों, राज्य विधान सभाओं के अध्यक्षों और उपाध्यक्षों, राज्य विधान परिषदों के सभापति एवं उप-सभापति, विधान मंडल वाले संघ राज्य क्षेत्रों के मंत्रियों (उप-मंत्रियों को छोड़कर) और संघ राज्यक्षेत्रों की विधान सभाओं के अध्यक्षों और उपाध्यक्षों की कारें जब वे, यथास्थिति, अपने राज्य या संघ राज्यक्षेत्र के भीतर यात्रा कर रहे हों (यदि उस राज्य या संघ राज्यक्षेत्र द्वारा संप्रतीक अंगीकृत किया गया है या उसके संप्रतीक में संप्रतीक सम्मिलित किया गया है।

अनुसूची III

(नियम 9 देखें)

अन्य प्रयोजन जिनके लिए संप्रतीक प्रयोग किया जा सकेगा

- (i) विधिसंगत प्रतिनिधित्व प्रयोजन के लिए अनुसूची-1 में विनिर्दिष्ट कृत्यकारियों या अधिकारियों के परिचय कार्ड ;
 (ii) विधिसंगत प्रतिनिधित्व प्रयोजन के लिए अनुसूची-1 में विनिर्दिष्ट कृत्यकारियों या अधिकारियों द्वारा भेजे गए बधाई कार्ड ;
 (iii) सरकार के सरकारी प्रकाशन ;
 (iv) सरकार द्वारा निर्मित फिल्म और वृत्तचित्र ;
 (v) स्टाम्प पेपर ;
 (vi) सरकारी विज्ञापन, बैनर, पुस्तिकाएं, बोर्ड आदि ;
 (vii) कलगी, फ्लैग, आसन ऐसे उपांतरण के साथ, जो आवश्यक हों ;
 (viii) सरकार द्वारा जारी पहचान पत्र, अनुज्ञप्तियां, परमिट आदि ;
 (ix) सरकार की वेबसाइट ;
 (x) भारत सरकार की टकसालों या मुद्रणालयों द्वारा जारी सिक्के, करेंसी नोट, वचनपत्र और डाक टिकट ;
 (xi) सरकार द्वारा संस्थित मेडल, प्रमाणपत्र और सनद ;
 (xii) सरकारी समारोहों के निमंत्रण पत्र ;
 (xiii) राष्ट्रपति भवन, राज-भवनों, राज निवासों तथा विदेश स्थित भारतीय मिशनों या केन्द्रों में प्रयोग में आने वाले प्रतिनिधित्व सम्बन्धी कांच के बर्तन, चीनी के बर्तन व छुरी कांटे ;
 (xiv) (क) संघ के सशस्त्र बलों के कमीशन प्राप्त या राजपत्रित अधिकारियों ;
 (ख) संघ और ऐसी राज्य सरकारों और संघ राज्यक्षेत्रों की वर्दी वाली सेवाओं के राजपत्रित अधिकारियों, जिसने उस राज्य या संघराज्य क्षेत्र के संप्रतीक में संप्रतीक अंगीकृत किया है या उसमें संप्रतीक सम्मिलित किया है ;
 (ग) राष्ट्रपति भवन और विदेशों में भारतीय मिशन और पदों के प्राधिकृत कर्मचारिवृद्धों ; की गणवेश पर ऐसे उपांतरणों के साथ, जो आवश्यक हों, बैज, कालर बटन आदि ;

(xv) विद्यालय की पाठ्य पुस्तकें, इतिहास, कला या संस्कृति की पुस्तकें या संप्रतीक के उद्गम, महत्व या अंगीकार करने को स्पष्ट करने या उसका दृष्टांत देने के प्रयोजन के लिए किसी अध्याय, धारा आदि के पाठ के भाग रूप में किसी नियतकालिक पत्रिका में :

परन्तु संप्रतीक ऐसे प्रकाशन के मुख्य पृष्ठ, शीर्षक या आवरण पर प्रयोग नहीं किया जाएगा जिससे कि यह धारणा बनाई जा सके कि यह सरकारी प्रकाशन है।

स्पष्टीकरण—इस अनुसूची के प्रयोजन के लिए "सरकार" के अंतर्गत केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार और संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन हैं जिसने, यथास्थिति, संप्रतीक अंगीकृत किया है या उस राज्य या संघ राज्यक्षेत्र के संप्रतीक में संप्रतीक सम्मिलित किया है।

[फा. सं. 13/9/2006-पब्लिक]

अरुण कुमार यादव, संयुक्त सचिव

राजपत्र सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D.L.-33004/99

भारत का राजपत्र

The Gazette of India



असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्रधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 411]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जुलाई 23, 2010/श्रावण 1, 1932

No. 411]

NEW DELHI, FRIDAY, JULY 23, 2010/SHRAVANA 1, 1932

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 जुलाई, 2010

सं.का.नि. 629(अ).—केन्द्रीय सरकार, भारत का राज्य संग्रहीत (अनुचित प्रयोग प्रतिषेध) अधिनियम, 2005 की भाग 11 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत का राज्य संग्रहीत (प्रयोग का विनियम) नियम, 2007 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

1. (1) इन नियमों का नाम भारत का राज्य संग्रहीत (प्रयोग का विनियम) संशोधन नियम, 2010 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. भारत का राज्य संग्रहीत (प्रयोग का विनियम) नियम, 2007 में, जिसे इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है, नियम 10 के उप-नियम (4) के स्थान पर निम्नलिखित उप-नियम रखा जाएगा, अर्थात् :-

“(4) इन नियमों के अधीन संग्रहीत का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत व्यक्ति के नाम के साथ लेखन सामग्री पर, जिसके अंतर्गत उस पर मुद्रित या उत्कीर्ण संग्रहीत सहित पत्र शीर्ष, परिचय पत्र और बचाई पत्र भी हैं, कोई वृत्तिक अर्हता या प्राइवेट वृत्ति उल्लिखित नहीं होगी।”

3. उक्त नियम में, -

(i) अनुसूची 1 में, स्पष्टीकरण के स्थान पर निम्नलिखित स्पष्टीकरण रखा जाएगा, अर्थात् :-

“स्पष्टीकरण—इस अनुसूची के प्रयोजन के लिए ‘अधिकारी’ पर से कोई राजपत्रित अधिकारी अधिप्रेत है।”;

(ii) अनुसूची 2 के पैरा 1 में, पैरा (ii) के स्थान पर निम्नलिखित पैरा रखा जाएगा, अर्थात् :-

“(ii)(क) उप-राष्ट्रपति की कार, जब वह या उनका पति या उनकी पत्नी ऐसे वाहन में यात्रा कर रहे हों;

(ख) उप-राष्ट्रपति की कार के पीछे चलने वाली अतिरिक्त कार;”

(iii) अनुसूची 3 में, स्पष्टीकरण के स्थान पर निम्नलिखित स्पष्टीकरण रखा जाएगा, अर्थात् :-

“स्पष्टीकरण—इस अनुसूची के प्रयोजन के लिए ‘सरकार’ में केन्द्रीय सरकार, अन्य सरकारें, संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन और अनुसूची 1 में उल्लिखित अन्य कार्यालय सम्मिलित हैं।”

[सं. सं. 13/3/2009-पब्लिक]

अहम. पी. नाम, संयुक्त सचिव

पाद टिप्पण :- मूल नियम, भारत के राजपत्र, भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड (i) में सं.का.नि. 643(अ), तारीख 4 अक्टूबर, 2007 द्वारा प्रकाशित किए गए थे।